

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 27(41)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट


जयपुर, दिनांक : 25/4/17

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 22(1)(iii)(d) के तहत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबन्ध मण्डल में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित दो सदस्यों का एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से मनोनयन किया जाता है:-


क्र.सं.	मनोनीत सदस्य	विवरण
1.	डॉ. आर.पी. अग्रवाल प्रधानाचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	राजकीय महाविद्यालय से
2.	प्रधानाचार्य, राजस्थान डेन्टल कॉलेज, भांकरोटा, जयपुर	निजी महाविद्यालय से

यह मनोनयन मुख्यमंत्री कार्यालय के आई.डी. क्रमांक F 17000720 दिनांक 18.4.2017 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में किया जाता है।

आदेश से,  
  
(भगवत सिंह)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राज. एवं कुलाधिपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को उनके पत्रांक F-8(BOM-Main)/Academic/2016/15637 दिनांक 10.11.2016 के सन्दर्भ में।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
7. डॉ. आर.पी. अग्रवाल, प्रधानाचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
8. प्रधानाचार्य, राजस्थान डेन्टल कॉलेज, भांकरोटा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश व्यास)  
सहायक शासन सचिव